राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ. 27(307) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/अभि./ग्रेवल सड़क/2015–16 जयपुर, दिनांकः 09 अगस्त, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः– ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सीमेंट कंक्रीट सड़क के स्थायित्व (उम्र) एवं निर्माण के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक F.No. J-11017/27/2016-RE-VII (FTS-353063) Dated 6 March, 2017 एवं विभागीय स्थायी आदेश संख्या 31/2017 दिनांक 13.04.2017

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी महात्मा गांधी नरेगा, के मास्टर परिपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश दिनांक 02 फरवरी, 2016 एवं उनके पत्र दिनांक 06 मार्च, 2017 के द्वारा सीमेंट कंक्रीट सड़क का स्थायित्व अवधि 10 से 15 वर्ष एवं ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम सड़क का स्थायित्व अवधि 05 से 10 वर्ष के लिए मानी गयी है। इसके लिए एवं सभी मौसम में उपयोगी बनाने हेतु सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण कार्य में आवश्यक/निर्धारित तकनीकी मापदण्ड़ अपनाये जाने आवश्यक हैं।

ये निर्देश मास्टर परिपत्र 2016–17 के बिन्दु संख्या 2.5.2.8 (e) तथा 2.5.3.2 (8) के क्रम में जारी किये गये है, जिनमें उच्च गुणवत्ता की ग्रामीण सड़क संयोजकता की कार्य करवाने पर जोर दिया गया है तथा सीसी सड़क के 10–15 वर्षों तक तथा ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम सड़क के 5–10 वर्षों तक कार्यात्मक रूप से टिकाऊ होने का उल्लेख है।

उक्तानुसार स्थायित्व अवधि के पश्चात जिस भाग/लम्बाई मे सड़क दोबारा (Repeatative) बनाई जानी है तो सक्षम स्तर के तकनीकी अधिकारी की तकनीकी रिर्पोट के आधार पर वास्तविक तकमीना तैयार कर सड़क निर्माण कार्य नियमानुसार स्वीकृत कराया जा सकता है। निर्धारित न्यूनतम स्थायित्व अवधि से पूर्व सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम सड़क कार्य दोबारा (Repeatative) नही कराया जावे।
सीमेंट कंक्रिट सड़क निर्माण कार्यो का गुणवत्ता पूर्वक कराये जाने हेतु निम्न बिन्दूओं की विशेष रूप से पालना सुनिश्चित की जावेगी :–

1. निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत ही सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता की देख रेख में सम्पादित कराया जावे।
2. सींमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण हेतु उपयोग मे आने वाली आवश्यक मशीनरी व उपकरण यथा सीसी मीक्सर मंशीन, निडिल/प्लेट बायब्रेटर आदि की उपलब्धता एवं उपयोगिता सुनिश्चित की जावे, साथ ही इन उपकरणों के लिए किराये आदि का प्रावधान तकमीने में किया जावे।
3. सीमेंट कंक्रीट सड़क/पटरी निर्माण पश्चात न्यूनतम 15 दिवस की अवधि के लिए तराई हेतु मिटटी व पानी भरकर रखा जाना सुनिश्चित करावे।
4. सीमेंट कंक्रीट सड़क/पटरी निर्माण में 15–15 मीटर की दूरी पर विस्तार जोड (Expansion Joint) दिया जाना आवश्यक होगा।
5. निर्माण कार्य के दौरान सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अधीशाषी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जावेगी। इस हेतु कार्य के सम्पादन के दौरान गुणवत्ता परीक्षण हेतु आवश्यक सैम्पल लिए जाकर निर्धारित तकनीकी परीक्षण करवाया जावे (कमांक एफ 27(254)ग्राविं/ग्रुप–5/जीकेएन/ 2015–16 दिनांक 10.08.2016)।

अतः विभागीय योजनाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़क संयोजकता के तहत ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम सड़कों पर कम से कम 5 वर्ष तक तथा सीसी सड़कों पर कम से कम 10 वर्ष तक दोबारा सड़क निर्माण जिस भाग/लम्बाई में पूर्व में कराया जा चुका है, उसमें Repeatative Road Construction गतिविधि नहीं स्वीकृत की जावें। किसी भी ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction) बनाते समय संबंधित अभियंता यह प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

ऐसे कार्यों की स्वीकृति जारी करते समय संबंधित तकनीकी अधिकारी द्वारा Repeatative Road Construction गतिविधि नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे तथा इस प्रमाण–पत्र को कार्य की कार्य पत्रावली का भाग बनाया जावे।

(सुदर्शन सेठी) 4.8.2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
7. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक, एम एण्ड ई/एसएपी–प्रथम/एसएपी–द्वितीय/ईजीएस।
10. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/महात्मा गांधी नरेगा।
11. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरसेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त राजस्थान।
12. अधिशाषी अभियन्ता, अभि./ईजीएस, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

04/12

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)